पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(कटराथल, सीकर–332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– 6637 दिनांकः– 26/12/23

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने सम्बन्धी सूचना

विज्ञप्ति

सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2023–24 के प्रथम सेमेस्टर के नियमित एवं स्वयंपाठी (Non-Collegiate or Private) परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर ऑनलाईन माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार घोषित किया जाता हैः–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	बिना विलम्ब शुल्क तिथि	100 रू. विलम्ब शुल्क सहित तिथि	दोगुना (Double) परीक्षा शुल्क के साथ तिथि
1	**बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, के प्रथम सेमेस्टर के नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थी**	27.12.2023 से 05.01.2024	06.01.2024 से 08.01.2024	**09.01.2024 से 11.01.2024**
2	**बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए., के प्रथम सेमेस्टर के नियमित परीक्षार्थी**			

नोटः–

1. परीक्षा स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की वार्षिक पद्धति की परीक्षाओं के **परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने** हेतु शीघ्र ही पृथक से विज्ञप्ति जारी की जावेगी।
2. स्नातक प्रथम सेमेस्टर के समस्त नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों **की परीक्षा जनवरी, 2024 के** अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
3. सर्वर डाउन की समस्या से बचने के लिए, आवेदन की अंतिम तिथि का **इन्तजार ना करें।**
4. परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाओं हेतु वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** **का निरन्तर अवलोकन** करें।

सामान्य निर्देश

1. **नियमित विद्यार्थियों को सेमेस्टर के अन्त में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।**
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु ABC ID आवश्यक है। **अतः विद्यार्थी परीक्षा आवेदन** पत्र में निर्धारित स्थान पर स्वयं का मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी., **आधार कार्ड नम्बर व ABC** ID दर्ज करें।
3. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा–निर्देश वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर उपलब्ध है। परीक्षा संबंधी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ट ''अ'' देखें। महाविद्यालयों **द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित** करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा–निर्देशों का अवलोकन करें।
4. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से होगी। परीक्षा शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। **परीक्षा शुल्क का भुगतान एक बार किये जाने के पश्चात् पुनः (दुबारा) भुगतान, 24 घंटे की समयावधि में पोर्टल पर Payment Verify करने पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में ही किया जावे। विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापस (Refund) नहीं होगा।**

(हस्ताक्षर)

5. परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें। परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र तथा नामांकन आवेदन पत्र की तीन हार्ड कॉपी डाउलोड कर उस पर यथा स्थान हस्ताक्षर मय आवश्यक दस्तावेजों तथा पूर्व में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण सभी अंकतालिकाओं के साथ आगामी **दो कार्य दिवसों में, दो प्रतियों (एक महाविद्यालय प्रति एवं एक विश्वविद्यालय प्रति) में संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र की एक प्रति परीक्षार्थी अपने पास सुरक्षित रख लेवें। परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा आवेदन सह नामांकन पत्र को स्वीकार नहीं होगा।** अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा सह नामांकन आवेदन पत्र दो प्रतियों में जमा करायें। **महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र ही स्वीकार होंगे।**

6. स्नातक (कला/विज्ञान) परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। इस सम्बंध में परिशिष्ट 'अ' के बिन्दु संख्या 10 का सावधानीपूर्वक अवलोकन कर लेवें। **तदानुसार प्रायोगिक विषयों के प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें, अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।**

7. परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी समस्या के लिए हेल्पलाईन नम्बर **7398532208 एवं 8960032208** तथा आई.सी.आई.सी. बैंक का हेल्प लाईन नम्बर **9137483284** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(हस्ताक्षर)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः– 6637

दिनांकः– 26/12/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. **(अ)** समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लेवें कि परीक्षा फॉर्म के साथ सभी वांछित दस्तावेज संलग्न हैं एवं सही है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण, दिशा निर्देश में अंकित है, जो विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर उपलब्ध है। **विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।**

   (ब) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष (प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर) हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से परीक्षा आवेदन सह नामांकन पत्र भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्य द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना होगा।

2. वित्त नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि वे महाविद्यालयों के सेमेस्टर परीक्षा– 2023 हेतु ई–मित्र/ICICI PAYMENT GATEWAY SYSTEM द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि जमा विवरण प्राप्त कर मिलान करने का भी श्रम करें।
3. निजी सचिव; कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को प्रेषित कर आग्रह है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के जिलों में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर आदि) में एक बार प्रकाशित करवावें एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।
5. समस्त अनुभागाधिकारी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।
7. गार्ड फाईल।

(हस्ताक्षर)
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

परिशिष्ट "अ"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दिसम्बर, 2023 के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व पत्र क्रमांक परीक्षा–6–अ/ 2023/ 1007–25 दिनांक 20.10.2023 नियमित छात्र/छात्राओं की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य अपने स्तर पर नियमित विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें। यदि किसी विद्यार्थी के अग्रेषित परीक्षा आवेदन पत्र में उपरोक्त त्रुटि पाये जाने पर महाविद्यालय पर नियमानुसार कार्यवाही कर पेनल्टी लगायी जा सकती है।
3. परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन भरने हेतु ABC ID आवश्यक है। अतः छात्र निर्धारित स्थान पर **स्वयं का मोबाईल नम्बर,** ABC ID व आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है।
4. सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर अपनी ABC ID के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करते हुये संबंधित कक्षा की श्रेणी यथा नियमित/स्वयंपाठी का चयन कर अध्ययन किये गये विषयों का चयन करते हुये परीक्षा फॉर्म भरेंगे।
5. परीक्षा आवेदन पत्र, समय सारिणी तथा परीक्षा आयोजन संबंधी अन्य जानकारियों हेतु वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** का निरंतर अवलोकन करते रहें।
6. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से होगी। परीक्षा शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। **परीक्षा शुल्क के भुगतान होने की सूचना मिलने पर भुगतान का अपडेट सुनिश्चित किये जाने पर (Payment Verify) ही पुनः भुगतान 12 घंटे पश्चात् ही किया जावे। विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापिस (Refund) नहीं होगा।**
7. परीक्षा फॉर्म दिशा–निर्देशों का अवलोकन कर साबधानीपूर्वक भरें। परीक्षा फॉर्म भरने के पश्चात् परीक्षार्थी को परीक्षा आवेदन पत्र की तीन प्रतियों में प्रिंट लेना है। इसमें से दो प्रतियाँ (एक महाविद्यालय प्रति व एक विश्वविद्यालय प्रति) समस्त दस्तावेजों के साथ अपने हस्ताक्षर कर निर्धारित अवधि (आगामी दो कार्य दिवस) में सम्बन्धित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवा देवें। आवेदन पत्र की एक प्रति परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखे। **परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।** अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा फॉर्म जमा करायें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार होंगे।
8. संबंधित महाविद्यालय परीक्षा सह नामांकन पत्रों के साथ एक शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करेगा जिसके अन्तर्गत यह स्पष्टतया उल्लेख किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा कुल प्रवेशित छात्र/छात्रायें तथा परीक्षा फार्मों की संख्या महाविद्यालय को आवंटित सीटों से अधिक नहीं है तथा विद्यार्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरे गये विषयों का मिलान महाविद्यालय को आवंटित विषयों तथा विद्यार्थियों को प्रदान किये गये विषय संयोजन (Subject Combinations) से मिलान कर लिया है तथा सभी विद्यार्थियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हैं। इन तथ्यों का स्पष्टतया सत्यापन करने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय को नियत तिथि तक अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. वर्ष 2023 में प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्रों को नयी शिक्षा नीति–2020 के तहत सेमेस्टर परीक्षा में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने का विकल्प होगा। अनुत्तीर्ण छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत वर्णित पाठ्यक्रम में नये सिरे से पंजीकृत होना होगा। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का पाठ्यक्रम नियमित विद्यार्थियों की भांति ही होगा।

10. स्वयंपाठी परीक्षार्थी जिनके परीक्षा में प्रायोगिक विषय हैं, वे परीक्षा फॉर्म जमा करवाते समय विशेष ध्यान देवें कि :

- **जिस महाविद्यालय में अपने प्रायोगिक विषयों का अभ्यास–शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, उसी महाविद्यालय में ही अपना परीक्षा फार्म जमा करवायें।**
- **परीक्षा फॉर्म के साथ प्रायोगिक विषय का अभ्यास– शिक्षण शुल्क भी आवश्यक रूप से परीक्षा आवेदन पत्र को महाविद्यालय में देते समय ही जमा करवा देवें।**
- **प्रायोगिक विषयों के अभ्यास– शिक्षण शुल्क जमा कराने हेतु अलग से कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।**
- **प्रायोगिक विषय का अभ्यास– शिक्षण शुल्क जमा नहीं करवाने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।**

11. फॉर्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात् भरे गये फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। **इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी।** निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड (एटीएम)/क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात् परीक्षा फॉर्म व नामांकन/योग्यता फॉर्म (परीक्षार्थी के शेखावाटी विश्वविद्यालय में पूर्व में नामांकित नहीं होने की स्थिति में) की हार्ड कॉपी का प्रिंट निश्चित रूप से प्राप्त करें। **परीक्षार्थी ध्यान रखें कि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं हो या आपके विवरण से मिलान नहीं हो तो पूर्व में भरे गये फॉर्म को निरस्त मानते हुये पुनः नया परीक्षा फॉर्म भरें तथा परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाऐं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें।**

12. परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन–पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। **परीक्षार्थी अपना नाम, पिता व माता का नाम बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकतालिकाओं के अनुसार ही भरें।**

13. **सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् परीक्षा फॉर्म में बदलाव संभव नहीं होगा।**

14. नियमित विद्यार्थी अपने नामांकन सह परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित विद्यार्थी हैं वहाँ जमा करवायें एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी नजदीकी राजकीय महाविद्यालय का चयन कर नामांकन सह परीक्षा फॉर्म भरें तथा उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ चयनित राजकीय महाविद्यालयों में जमा करायें।

15. **परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा परीक्षार्थी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती जैसे– नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेन्ट नंबर, इत्यादि में बाद में संशोधन करवाने पर रू. 200–/ प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर परीक्षा फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि से 03 दिवस में ही सुधार करवाया जाना संभव होगा।**

16. ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी सेकेण्ड्री एवं सीनियर सेकेण्ड्री की अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।

17. राजस्थान बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रवर्जन प्रमाण–पत्र (माइग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न करें। संबंधित महाविद्यालय/संग्रहण केन्द्र दस्तावेजों की सम्पूर्ण जॉच करके परीक्षार्थी को मूल दस्तावेज सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे।

18. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने संबंधित सूचना उनके परीक्षा प्रवेश–पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।

19. फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की अंकतालिका के अनुसार भरें।

20. स्नातक कला में गृह–विज्ञान वैकल्पिक विषय केवल नियमित छात्राओं के लिए ही लेना अनुमत है।

21. स्नातक स्तर सेमेस्टर प्रथम में मनोविज्ञान, चित्रकला, शारीरिक शिक्षा, ड्राइंग एवं पेंटिंग, संगीत विषय केवल नियमित विद्यार्थियों के ही लेने की अनुमति होगी।

22. महाविद्यालयों के नियमित/पूर्व परीक्षार्थियों एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के **परीक्षा केन्द्र का आवंटन** विश्वविद्यालय द्वारा यथा समय निर्धारित होगा। परीक्षा केन्द्र की सूचना **परीक्षार्थियों के परीक्षा** प्रवेश–पत्र में उपलब्ध होगी।

23. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में **परीक्षा/नामांकन फॉर्म की हार्ड कॉपी** संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें **मात्र परीक्षा शुल्क जमा** कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

24. परीक्षार्थी ध्यान रखे कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा **फार्मों पर विचार नहीं किया** जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फॉर्म स्वतः ही निरस्त समझे जाऐंगे।

25. राजस्थान बोर्ड/शेखावाटी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य बोर्ड /**विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण** परीक्षार्थी नामांकन फार्मों की हार्ड कॉपी के साथ मूल प्रवजन **प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन) एवं** अंकतालिकाऐं साथ संलग्न करें।

26. महाविद्यालयों द्वारा लोगिन आई.डी. का निर्माण, फॉर्म चैकिंग, नामांकन **व परीक्षा फार्मों की** कक्षावार/संकायवार सूची आदि से संबंधित आवश्यक निर्देशों यथा **महाविद्यालय लोगिन आई.डी.** /ई.मेल आई.डी. का वेबसाईट **www.shekhauni.ac.in** पर अवलोकन **करें।**

27. परीक्षा सह नामांकन फॉर्म का संबंधित महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर **सत्यापन (Verified) करके** उनकी सूची का प्रिंट पोर्टल से लेकर उस सूची में अंकित क्रमानुसार **प्रत्येक परीक्षा सह नामांकन** फॉर्म पर अंकित कर उन्हें कक्षावार व्यवस्थित कर परीक्षा सह नामांकन **फार्मों को मूल प्रवजन** प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन) एवं अंकतालिकाओं के साथ सूची सहित परीक्षा **फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि** से 07 दिवस में विश्वविद्यालय में परीक्षा शाखा में आवश्यक रूप से जमा **करवाया जाना सुनिश्चित** करें। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त परीक्षा सह नामांकन फॉर्मों पर **नियमानुसार विलम्ब शुल्क के** साथ जमा किया जावेगा।

28. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों **को केवल परीक्षा शुल्क की** छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र **जो कि राजकीय मेडीकल** ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक **है। परीक्षा शुल्क के** अलावा अन्य सभी निर्धारित शुल्क देय होगा।

29. परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी समस्या **के लिए हेल्पलाईन नम्बर 7398532208 एवं 8960032208** तथा आई.सी.आई.सी. बैंक का हेल्प **लाईन नम्बर 9137483284 पर** सम्पर्क कर सकते हैं।

30. सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार सेमेस्टर परीक्षा के शुल्क निर्धारण **हेतु गठित समिति की** अनुशंसानुसार सेमेस्टर परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क निम्नानुसार हैः–

Examination Fees Schedule

S.No.	Class Semester – I (B.A./B.Com./B.Sc./B.B.A./B.C.A.)	Fees Prescribed
1	Regular Students	1300/-each semester
2	Non-Collegiate Students	2100/- each semester

Note:- In addition to above fee schedule following fees shall also be charged:-

1- Practical Fee@Rs.100/- per paper for Regular and Non-Collegiate category students.

2- Enrollment Fee Rs. 300/- from Rajasthan Board Students and Rs. 600/- from other than Rajasthan Board Students.

3- Practical Training Fees of Rs. 1000/- per subject (for each semester) shall be charged from Non-Collegiate Students belong to Science Faculty, whereas Rs. 700/- per paper (for each semester) shall be charged from the same category students belong to other than Science faculty.

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– 6638 दिनांकः 26/12/2023

सेमेस्टर परीक्षा–2024
परीक्षा आवेदन–पत्र भरवातें समय महाविद्यालयों द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा प्रवेश–नीति की अक्षरशः पालना हेतु

क्षेत्राधिकार में अवस्थित समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के पत्रांक F7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2023/108 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा सत्र 2023–24 बाबत जारी प्रवेश नीति की अनुपालना अनुसार ही विद्यार्थियों के कक्षा/वर्ग में नियमित प्रवेश किये जाने है तथा तदानुसार ही परीक्षा फॉर्म भराये जाने है।

(A) **कक्षा/वर्ग विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या** :– स्नातक कला, वाणिज्य विज्ञान :– **प्रवेश नीति के पृष्ठ संख्या 7 के बिन्दु 2.2 के अनुसार ही न्यूनतम संख्या किसी भी विषय/वर्ग में होनी चाहिए।**

(B) **कक्षा/वर्ग में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या** :– स्नातक एवं स्नातकोत्तर **कक्षाओं में अधिकतम** संख्या विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को विषय विशेष में आवंटित **सीटों से अधिक नहीं** होनी है।

(C) **नियमित विद्यार्थियों के अन्तराल (GAP) प्रकरण** :– अन्तराल के पश्चात **प्रवेश पृष्ठ संख्या 08 के** बिन्दु 2.3 के अनुसार ही होना चाहिए।

1. **यदि कोई महाविद्यालय आवंटित विद्यार्थी संख्या से अधिक विद्यार्थियों नियमित प्रवेश देते है तो प्रति छात्र रू 10,000/– पैनल्टी लगेगी तथा अधिक प्रवेशित विद्यार्थी स्वयंपाठी श्रेणी में शामिल कर दिये जायेंगे।**
2. **आयुक्तालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम विद्यार्थियों को यदि किसी कक्षा/वर्ग में नियमित प्रवेश दिया जाता है उन्हे भी स्वयंपाठी श्रेणी मे शामिल कर दिया जायेगा। जिन विषयो/पाठयक्रमों में स्वयंपाठी श्रणी की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें ऐसे न्यून विद्यार्थियों को परीक्षा से अयोग्य माना जायेगा।**

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की प्रवेश नीति 2023–24 के उक्त प्रावधानों का अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराए। यदि कोई महाविद्यालय उक्त निर्देशों की अनुपालना नहीं कराता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं महाविद्यालय की होगी।

परीक्षा नियंत्रक